दिनांक–02.07.20 को 11:00 पूर्वाह्न में उपायुक्त, पलामू के अध्यक्षता में जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट कोष अंतर्गत प्रबंधकीय समिति की आयोजित बैठक की बैठक कार्रवाही:–

उपस्थितिः– पंजी के अनुसार।

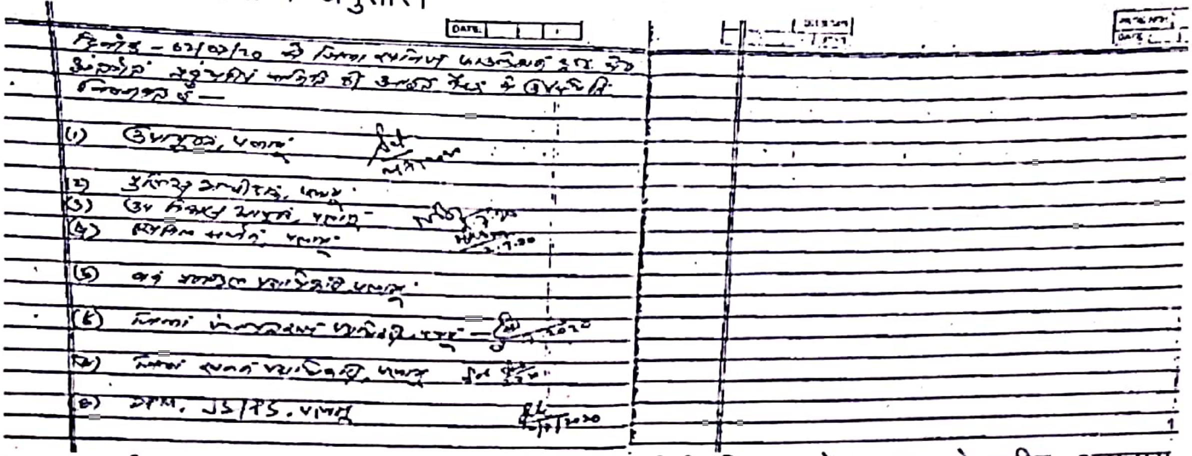
(1) उपायुक्त, पलामू
(8) DPM, JSLPS, पलामू

सर्वप्रथम DPM, JSLPS , पलामू द्वारा मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से गरीव, असहाय, बीमार, विधवा , जरूरतमंद, श्रमिकों व उनके परिवार एवं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, को Covid-19 के दौरान उपलब्ध कराये गये निशुल्क भोजन के लिए 349 मुख्यमंत्री दीदी किचन का दिनांक–01.06.20 से 10.06.20 तक का 12/– रूपये प्रतिव्यक्ति के दर से (21,54,084/–रूपये) का विपत्र तथा दिनांक–11.06.20 से 30.06.20 तक के लिए 43,97,916/– रूपये अग्रिम भुगतान हेतु भुगतान अनुरोध पत्र प्रबंधकीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

DPM, JSLPS , पलामू द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री दीदी किचन को 01 जून 2020 से 30 जून तक, JSLPS, रॉची के पत्रांक–2910 दिनांक–30.05.20 से प्राप्त निदेश के आलोक विस्तारित किया गया है।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक–1560 दिनांक–09.06.20 के कंडिका–4 में अंकित निदेशानुसार जिला में संचालित दीदी किचन का भुगतान DMFT में उपलब्ध राशि से करने हेतु निदेश अंकित है। पत्र में यह भी अंकित है कि माह–जून 2020 में मुख्यमंत्री दीदी किचन के संचालन हेतु DMFT में उपलब्ध राशि से नियमानुसार व्यय किया जाए, किचन की संख्या, लाभुकों की संख्या, एवं उक्त कार्य हेतु व्यय का निर्धारण DMFT के प्रबंधकीय समिति द्वारा किया जाएगा। जिला में संचालित किचन की संख्या दिनांक–31.05.20 को संचालिन किचन से अधिक नहीं होगी।

तदनुसार प्रबंधकीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि दिनांक–31.05.20 को संचालित किचन की संख्या का प्रमाण DPM, JSLPS से प्राप्त कर, भुगतान की कार्रवाई की जाए, जिसके आलोक में DPM, JSLPS , पलामू के पत्रांक–816 दिनांक–02.07.20 के द्वारा 31 मई 2020 को संचालित मुख्यमंत्री दीदी किचन से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसमे कुल –356 मुख्यमंत्री दीदी किचन की संख्या पायी गयी।

भारत सरकार के खान मंत्रालय का पत्रांक–Do No. 7/2/2020-MIV दिनांक– 28.03.2020 द्वारा Covid-19 में DMFT की राशि व्यय करने हेतु शर्त के साथ निदेश प्राप्त था। पुनः मंत्रालय के पत्रांक– Do No. 7/2/2020-MIV दिनांक– 11.06.2020 द्वारा शर्तो को शिथिल करते हुये Covid-19 में DMFT की राशि व्यय करने हेतु निदेश प्राप्त है।

Scanned with CamScanner

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक–625 दिनांक–03.05.20 के निर्णय सं0–03 एवं JSLPS, रॉची के पत्रांक–2910 दिनांक–30.05.20 द्वारा प्रतिदिन भोजन हेतु 10/–रूपये प्रति व्यक्ति दर निर्धारित किया गया है तथा JSLPS, रॉची के पत्रांक–2805 दिनांक–05.05.20 में एक दीदी किचन में प्रति दिन औसतन 70 व्यक्तिओं को दोपहर में एक बार भोजन उपलब्ध कराने का निदेश अंकित है।

उक्त के आलोक में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि दिनांक–31.05.20 को संचालित किचन की संख्या –356 के विरूद्व 349 किचन का भुगतान, प्रतिदिन एक दीदी किचन में औसतन 70 व्यक्तिओं का 10/–रूपये प्रति भोजन के दर से प्राप्त विपत्र भुगतान किया जाएगा।

समीक्षोपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि DPM, JSLPS, पलामू के पत्रांक–811 दिनांक–18.06.20 से दिनांक–01.06.20 से 10.06.20 तक का प्राप्त विपत्र में 10 प्रतिशत विपत्रों का सत्यापन संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से कराया जाएगा। तत्पश्चात, 349 दीदी किचेन के लिए 10/–रूपये प्रति भोजन के निर्धारित दर से 1,77,121 व्यक्तिओं के लिए 17,71,210/–(सत्तरह लाख एकहत्तर हजार दो सौ दस) रूपये भुगतान JSLPS, पलामू के खाता में हस्तांतरित किया जाएगा। DPM, JSLPS, पलामू संबंधित सखी मण्डलो को उनके खाता में RTGS के माध्यम से राशि उपलब्ध करायेंगे।

दिनांक–11.06.20 से 30.06.20 तक का विपत्र उपलब्ध कराने हेतु DPM, JSLPS, पलामू का निदेश दिया गया। विपत्र प्राप्त होने के पश्चात, पुनः प्रबंधकीय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर, समीक्षोपरांत भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

उप विकास आयुक्त, पलामू के द्वारा प्रोजेक्ट किलकारी के तहत खनन प्रभावित क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केन्द्रो को Modern Play School Model पर विकसीत करने हेतु दिनांक– 04.02.20 को उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट कोष (न्यास परिषद) की बैठक पारित प्रस्ताव के आलोक में प्रखण्ड– सतबरवा के कुल – 15 आंगनबाड़ी केन्द (बारी उत्तरी–1, बारी दक्षिणी–2, कुसुम खोरका, रजडेरवा बगईचा टोला, पूर्णाडीह, पोची–8, पोची–01, ताबर, नावाडीह, मानासोती, दुलसुलमा–5, चेतमा–3, तुम्बागड़ा एवं ठेमी) एवं प्रखण्ड– मेदिनीनगर –14 आंगनबाड़ी केन्द(सुआ गोदाम, भसही चौक, लहसुनिया, चुकरू, बखारी, पिपरडीह, सरजा, सरजा(सीताटोली), हिसरा उर्फ पोखराहा, बकोईया, बढ़की नमी, केवटवार, झाबर, कुण्डेलवा एवं पिढीया) के तैयार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में DMFT से व्यय करने पर सरकार द्वारा रोक लगाया गया है, वैसी स्थिति में इसे विशेष केन्द्रीय सहायता मद में उपलब्ध राशि से कराने हेतु निर्णय लिया गया।

जिला खनन पदाधिकारी, पलामू।	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पलामू।	असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पलामू।
उप विकास आयुक्त, पलामू।		उपायुक्त, पलामू।